

हेतु न्यायहित में एक अन्तिम प्रवक्त


हैं। पत्रावली वास्ते जवाब प्र. पत्र दिनांक 8.10.25 को पेश हों।



8.10.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी अधिवक्ता को प्र. पत्र 15/1 CPC का जवाब प्रस्तुत
करने हेतु न्यत्र है। वादी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा
कुडवार आगेजें लगाई गईं बावजूद उपरोक्त न्यायालय
समय समाप्ति के साथ वह उपस्थित नहीं हुआ। प्र. पत्र
में वादी को उपस्थित होने हेतु 29.9.25 का आदेश दिया
गया। वादी आज भी उपस्थित नहीं हुआ है जिससे जाहिर
है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं होकर वाद
चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत
अदम हाजरी - अदम पेशी में खारिज किया जाता है। निर्णय
शेरेइजलाम सुनाया गया। प्रकरण फंसल थुमार हाका
नम्बर से कम है।


(अबुल वांडे हुणा)
IAS